रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2687] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 18, 2017/भाद्र 27, 1939
No. 2687] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 18, 2017/ BHADRA 27, 1939

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2017

का.आ. 3067(अ).—केन्द्रीय सरकार ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 17-12/2007-एसडी-IV, तारीख 29 मई, 2008 द्वारा बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की उपधारा (5) के अधीन बासमती चावल की किस्म के रूप में अर्ह होने के लिए यथाअपेक्षित प्रमुख गुणवत्ता लक्षण तथा अन्य आनुषंगिक लक्षण विहित किए थे ;

और केन्द्रीय सरकार ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 3-35/2014-एसडी- IV, तारीख 7 फरवरी, 2014 द्वारा अनुदेश जारी किए थे जिससे कि बासमती चावल के लिए भौगोलिक उपदर्शन के अधीन अभिनिश्चित क्षेत्र के बाहर बासमती चावल किस्मों के बीजों के उत्पादन के लिए रजिस्ट्रीकरण को निरुत्साहित किया जा सके :

और भौगोलिक उपदर्शन संख्या 145 के सम्बन्ध में क्वालिटी बीज उत्पादन के विनियमन तथा बासमती चावल की अधिसूचित किस्मों के प्रदाय को सुनिश्चित करने के लिए, भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री, भारत सरकार, चेन्नई ने प्रमाणपत्र संख्या 238, तारीख 15 फरवरी, 2016 द्वारा उक्त बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन अधिसूचित बासमती चावल की सभी किस्मों के बीज उत्पादन को केवल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड राज्यों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों तथा जम्मू-कश्मीर राज्य के भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकृत चावल का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों तक ही निर्बंधित किया था ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात्, की यह राय है कि चावल की बासमती किस्मों के बीज उत्पादन को केवल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड राज्यों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों तथा जम्मू-कश्मीर राज्य के पूर्वोक्त चावल उत्पादन करने वाले क्षेत्रों तक ही निर्बंधित करना आवश्यक और समीचीन है ।

[फा. सं. 3-35/2014-एसडी-IV]

डॉ. बी. राजेन्दर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2017

S.O. 3067(E).—Whereas, *vide* its Office Memorandum No.17-12/2007-SD-IV, dated 29th May, 2008, the Central Government described the primary quality characteristics as well as the other ancillary characteristics as required to qualify as Basmati rice variety under section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966);

And whereas, *vide* its Office Memorandum No. 3-35/2014-SD-IV, dated 7th February, 2014, the Central Government issued instructions so as to discourage the registration for production of seeds of Basmati rice varieties outside the area earmarked under the Geographical Indication for Basmati rice;

And whereas, in order to ensure the regulation of the quality seed production and supply of notified varieties of Basmati rice in respect of the Geographical Indication No. 145, the Geographical Indication Registry, Government of India, Chennai *vide* Certificate No. 238, dated 15th February, 2016, restricted the seed production of all varieties of Basmati rice notified under section 5 of the said Seeds Act, 1966, only to the Geographical Indication registered rice growing areas of the States of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Delhi, Uttarakhand, Parts of Western Uttar Pradesh and the State of Jammu and Kashmir;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government after consultation with the Central Seed Committee, is of the opinion that it is necessary and expedient to restrict the seed production of Basmati varieties of rice only to the aforesaid rice growing areas of the States of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Delhi, Uttarakhand, Parts of Western Uttar Pradesh and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 3-35/2014-SD-IV]

Dr. B. RAJENDER, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.09.18 19:48:02 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.